

Reliance Jio

Infocomm Limited

प्रति,

वनमंडल अधिकारी

वनमंडल सतना (म०प्र०)

विषय— सतना जिले में 4G भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन 4G प्रोजेक्ट (ओएफसी लायनिंग) गोविन्दगढ से रंगौनीखुर्द रोड तक निर्माण हेतु 0.330 हेक्टेयर वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बाबत (प्र०क्र०/एफपी/एमपी/अदर/ 37377 / 2018

सन्दर्भ— क्रमांक/मा०चि०/ 2327 सतना दिनांक 26.02.2019

अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र संलग्न भेजा जा रहा है--

अधिरोपित शर्त—

पालन प्रतिवेदन—

1.	वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा	1—	आवेदक संस्थान द्वारा वनभूमि के वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहने बाबत वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।
2.	वनभूमि में भूमिगत आप्टिकल फाइबर डालने की स्वीकृति वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राइट ऑफ वे के तहत ही होगी । राइट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे-किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है ।	2—	शर्त क्र०-02 के संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो परिशिष्ट-02 पर संलग्न है ।
3.	आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु 140 सेमी. गहराई, 0.60 सेमी. चौड़ाई, 24.900 किमी. लम्बाई, रकबा 1.494 हेक्टेयर से अधिक वनभूमि का उपयोग नहीं किया जावेगा ।	3—	शर्त क्र०-03 के संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो परिशिष्ट-03 पर संलग्न है ।
4.	वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं किया जावेगा ।	4—	शर्त क्र०-04 के संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो परिशिष्ट-04 पर संलग्न है ।
5.	आप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने में खोदी गई खंती का समतलीकरण का कार्य आवेदक संस्थान के स्वयं के व्यय से खंती से निकाली गई मिट्टी से ही किया जावेगा ।	5—	शर्त क्र०-05 के संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो परिशिष्ट-05 पर संलग्न है ।

-2-

Local address: - 3rd floor, Block No.1, DB City, M.P.Nagar, Bhopal (M.P.)-462002

Regd. Office: 3rd Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai - 400021, India.

Reliance Jio

Infocomm Limited

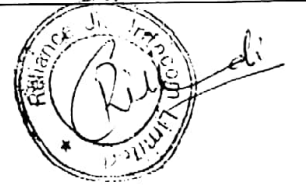
-2-

अधिरोपित शर्त-

पालन प्रतिवेदन-

6.	समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जावेगा ।	6-	शर्त क्र0-06 के संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो परिशिष्ट-06 पर संलग्न है ।
7.	आप्टिकल फाइबर केबिल लाइन डालते समय वृक्षों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जावेगी और न ही प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य वनक्षेत्र को तोड़ा जावेगा ।	7-	शर्त क्र0-07 के संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो परिशिष्ट-07 पर संलग्न है ।
8.	आवेदक संस्थान/ठेकेदार द्वारा वनक्षेत्र को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो निर्धारित राशि आवेदक संस्थान से वसूल की जावेगी ।	8-	शर्त क्र0-08 के संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो परिशिष्ट-08 पर संलग्न है ।
9.	आवेदक संस्थान द्वारा लिखित वचन-पत्र दिया जावे कि यदि भविष्य में भारत सरकार/राज्य शासन या वरिष्ठ कार्यालय वन विभाग द्वारा प्रकरण में अन्य कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो वह सभी शर्तें आवेदक संस्थान को मान्य होगी ।	9-	शर्त क्र0-09 के संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो परिशिष्ट-09 पर संलग्न है ।
10.	वनभूमि में उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग में ओएफसी केबिल डालने के दौरान मशीनरी (जै0सी0बी0) आदि का उपयोग प्रतिबंधित है । खन्ती खुदाई का कार्य श्रमिकों से ही कराया जावेगा ।	10-	शर्त क्र0-10 के संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो परिशिष्ट-10 पर संलग्न है ।

दिनांक-



रिलायंस जियो इंकॉम लिमिटेड
डी.बी.सिटी ब्लॉक नं0-01
तृतीय तल, भोपाल (म0प्र0)

Local address: - 3rd floor, Block No.1, DB City, M.P.Nagar, Bhopal (M.P.)-462002

Regd. Office: 3rd Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai - 400021, India.

Tel: 022-22785500; Fax: 022-22785560